(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 37/2021

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2021/236

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री राजेन्द्र कुमार माहेश्वरी पुत्र गिरिराज माहेश्वरी(विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता) निवासी कर्माजी की गली, राजपुरा वार्ड, जिला बाराँ मैसर्स के.आर. ट्रेडर्स, माथना तिराहा, मांगरोल रोड, जिला बारां
2. श्रीमती संगिता माहेश्वरी पत्नि राजेन्द्र कुमार माहेश्वरी(मालिक) निवासी कर्माजी की गली, राजपुरा वार्ड, जिला बाराँ मैसर्स के.आर. ट्रेडर्स, माथना तिराहा, मांगरोल रोड, जिला बारां
3. श्री स्वप्निल जैन पुत्र श्री कमल जैन(मालिक) निवासी राजकमल वस्त्रालय मैन मार्केट, अकलेरा, जिला झालावाड़–326033 मैसर्स–PKH Food Products, WS-24(A), IPIA Road No.-6, Kota-324005 (Raj.)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री अरूण सक्सेना खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री योगेन्द्र शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थी क्र.1 व 2)
3– अनुपस्थित (अप्रार्थी क्रम 3)

निर्णय दिनांक 09.03.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.12.2020 को मैसर्स के.आर. ट्रेडर्स, माथना तिराहा, मांगरोल रोड, जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री राजेन्द्र कुमार माहेश्वरी पुत्र गिरिराज माहेश्वरी(विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.12.2020 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 869 दिनांक 06.11.2020 एवं आदेश क्रमांक 937 दिनांक 26.11.2020 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र बारां आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में आते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 16:29:38 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जा रहा पर खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर(**Brand-PKH)500gm** के 20 पैकेट आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर(**Brand-PKH)500gm** में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बाराँ द्वारा खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर(Brand-PKH) 500gm** मूल पोलीपैक के 04 पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री राजेन्द्र कुमार माहेश्वरी पुत्र गिरिराज माहेश्वरी(विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता) को 400/– रूपये (अक्षरे चार सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर(Brand-PKH)500gm** मूल पोलीपैक को चार बराबर भागों में विभाजित कर चार साफ–सूखे व खाली प्लास्टिक के कन्टेनरों में रखकर, ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1129 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1129 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री राजेन्द्र कुमार माहेश्वरी पुत्र गिरिराज माहेश्वरी(विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाराँ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2021/08 दिनांक 11.01.2021 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 582/PHL/kota/Act/2021/14 दि 07.01.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर(Brand-PKH) 500gm** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (MisBrand)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स के.आर. ट्रेडर्स, माथना तिराहा, मांगरोल रोड, जिला बारां से पत्रांक 94 दिनांक 03.03.2021 से सूचना चाही गई। मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स, माथना तिराहा, मांगरोल रोड, जिला बारां द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञापत्र, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड एवं क्रय बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:29:38 IST
Reason: Self Attested

इस पर प्रकरण दिनांक [illegible].08.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई है। अप्रार्थी क्रम 3 द्वारा दिनांक 10.09.2021 को स्वयं उपस्थित होकर अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। उसके पश्चात् प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 3 अनुपस्थित रहा। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर(Brand-PKH) 500gm** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 3 द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 3 द्वारा कुछ समय पूर्व हीं उच्च गुणवत्ता वाले मसालों का कारोबार(ब्रांड का नाम **PKH**) शुरू किया था। रसद विभाग द्वारा दिनांक 23.12.2020 को अप्रार्थी क्रम 1 से सैम्पल लिये गये थे। लिये गये सैम्पल में मसालों की गुणवत्ता में कोई भी कमी नहीं पाई गई परंतु कुछ टैक्निकल कमी की वजह से पाउच पर बैच नं0 नहीं छपा होना पाया गया। इस कारण धारा 26 की उपधारा 2(II) FSS Act, 2006 एवं नियम 2011 के अंतर्गत यह प्रकरण दर्ज किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा अतिशीघ्र हीं यह टेक्निकल कमी को दूर कर के पाउच पर बैच नं0 छापना शुरू कर दिया एवं बिना बैच नं0 वाला पूरा माल तत्काल प्रभाव से विक्रेता से वापिस मंगवा लिया था। इसके अतिरिक्त प्रोडक्टस में कोई कमी नहीं पाई गई। नया कारोबार होने एवं टेक्निकल कमी की वजह से यह प्रकरण दर्ज हुआ था। अतः प्रकरण मे अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 582/PHL/kota/Act/2021/14 दिनांक 07.01.2021 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थी क्रम 1 से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर(Brand-PKH) 500gm** खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 582/PHL/kota/Act/2021/14 दिनांक 07.01.2021 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी क्रम 3 को जुर्माना राशि 10,000/– रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 3 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 3 के इस न्यायालय में [illegible] रहने के कारण इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि जर्ये तहरीर रजिस्टर्ड डाक के [illegible] पालनार्थ भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक **09.03.2022** को मेरे द्वारा [illegible] जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:29:38 IST
Reason: SelfAttested

(बृजमोहन बैरवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)